

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय): दिल्ली

चौकिस
हिन्दी दिवस, 14 सितंबर, 2022

आचार्य "हिन्दी दिवस" 14 सितंबर 2022 की शुरुआती को इतिहास रूपकालादी।
जैसा कि विदित है, भारत की संविधान सभा ने केन्द्रीय विधि में लिखित हिंदी भाषा को सत्र की राजभाषा के रूप में, 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। हिंदी राजभाषा अधिनियम, 2000 धारा 28 उपखंड 2004 से राष्ट्रीय राजभाषा क्षेत्र हिंदी में प्रभावी हो चुका है, जिसने हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
संसदीय समन्वय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित और प्रोत्साहित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व हम सब पर है। यह आवश्यक है कि हम राजभाषा हिंदी को अधिकारिक स्वीकार्य तथा इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी कामकाज में सरल और सुगम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्टता का साधन और माध्यम को अपनाने हिन्दी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दें।
यह हमें का विश्वास है कि जिला न्यायालय, दिल्ली में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रति प्रतिबद्धता बढ़ रही है।
आइए, हिन्दी दिवस के इस पर्वण अवसर पर हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि हम अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी भाषा में करने का उद्योगधन प्रयास करें। तथा अपने सभी सहकर्मियों को इस दिशा में और अधिक प्रेरित तथा प्रोत्साहित करें।


(निदेश कार्यालय)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय)
दिल्ली

संख्या 64519-719/हिन्दी/केन्द्रीय/238/2022 दिनांक 12-SEP-2022

विषय की प्रतिलिपि भुज्ज एवं आभारपत्र कार्यालय हिंदू विनियमित को प्रेषित की जाती है।

- 1) महाप्रबन्धक, सचिव हिंदी एवं न्यायालय, नई दिल्ली।
- 2) सहायक महाप्रबन्धक प्रथम विभाग एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम, नई दिल्ली, एवं उत्तर-पूर्व, मध्य, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम विभाग, दिल्ली, राजस्थान, एवं हिंदी। (इन अनुभागों में से प्रत्येक को एक प्रतिलिपि भेज दी जायेगी।)
- 3) सहायक विभाग प्रथम न्यायाधीश व न्यायाधीश, पश्चिम न्यायालय, दिल्ली/नई दिल्ली।
- 4) सहायक न्यायिक अधिकारी (सहायक विभाग), सीमा क्षेत्रीय न्यायालय पश्चिम, दिल्ली।
- 5) सहायक सत्रिक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय, सीमा क्षेत्रीय न्यायालय, दिल्ली।
- 6) सहायक एवं सहायक अधिकारी/सहायक अधिकारी, केन्द्रीय विभाग, दिल्ली।
- 7) सत्रिक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, नई दिल्ली, एवं उत्तर-पूर्व, मध्य, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व व दक्षिण-पश्चिम विभाग, दिल्ली।
- 8) सहायक, अधीनस्थानों के न्यायालय में।
- 9) सत्रिक सचिव, सहायक प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली।
- 10) सहायक कर्मचारी, वेबसाइट/सेल, इस निर्देश के साथ कि इसे जिला न्यायालय, दिल्ली की वेबसाइट/सेल पर अपलोड करें।
नोट : कृपया अपने अधीनस्थ सहायक कर्मचारियों को एक प्रतिलिपि भेजकर अवगत करावें।


(निदेश क्षेत्र)
आचार्य, केन्द्रीय हिन्दी समन्वयन समिति,
प्रधान न्यायाधीश, पश्चिम न्यायालय, केन्द्रीय विभाग,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प) जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली

27236-27304
संख्या..... परिषद/राजभाषा अनुभाग हिन्दी/उ-प/रोहिणी/2022

दिल्ली, दिनांक 14/09/2022

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी न्यायालय प्रभाग, दिल्ली की विशेषणुसार उपर्युक्त हिन्दी दिवस सदेश भुज्ज एवं आभारपत्र कार्यालय हिंदू जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय दिल्ली के प्रान्तीय न्यायिक अधिकारियों, सचिव प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारियों (न्यायिक) एवं अनुभाग प्रभागों को प्रेषित किया जाता है।


(प्रधान न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश अधिकारी)
राजभाषा हिन्दी अनुभाग
जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ०प० एवं उ०) जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) के निर्देशानुसार आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में रोहिणी न्यायालय परिसर के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख आदि चतुर्ता आदि)	कथित दोनों प्रतियोगिताओं का प्रपत्र 'स्वरचित रचना' सहित प्रपत्री एवं निर्गम अनुभाग के माध्यम से राजभाषा
2	सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता 'लिखित परीक्षा'	हिन्दी अनुभाग (उत्तर) को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 अफ़राह्न 4.00 बजे तक भेज आ सकते हैं।

सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता दिनांक 20 सितम्बर 2022 को सायं 3.30 बजे सभागार, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
ध्यान दें :- विस्तृत जानकारी हेतु परिपत्र के साथ संलग्न नियमावली की ध्यानपूर्वक पढ़ें एवम् अन्य जानकारी हेतु अनुभाग प्रभारी, राजभाषा अनुभाग (उत्तर) से संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

अ.ज.सि. सिंह पांडे

(अजय सिंह परिहार)

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

ए.एस.एस.एस. एस. सी.एस.

(नीति सूरि मिश्रा)

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

२७०५५-२७२१६

संख्या...../प्रतियोगिता-2022/राजभाषा अनुभाग हिन्दी (उ०प० एवं उ०)

दिल्ली, दिनांक 19/09/22

उपयुक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है।

1. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
2. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यन्वयन समिति, तीस हजारी, दिल्ली।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
4. निजि सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम, एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
5. अनुभाग प्रभारी, देख रक्ष अनुभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रतियोगिता में सर्वोपयुक्त व्यक्तियों का प्रबंध करें।
6. सर्वोपयुक्त कर्मचारी, लेखन/लेखसाईट, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी दिल्ली एवं मुख्यलय तीस हजारी, दिल्ली।

नोट :- सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपयुक्त परिपत्र से अवगत करावें तथा उनकी द्वारा प्रतियोगिता के लिए भरे हुए प्रपत्र को अप्रामाणिक करने की कृपा करें। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचें।

अ.ज.सि. सिंह पांडे

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

ए.एस.एस.एस. एस. सी.एस.

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का स्वरूप व नियमावली-2022

उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली में आयोजित करने के लिए विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं -

- (क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)
(ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्त आदि)

उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के लिए नियमावली :-

1. इन प्रतियोगिताओं में उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय में तैनात सभी कर्मचारीगण भाग ले सकते हैं।
2. निर्धारित तारीखों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय व स्थान इत्यादि की जानकारी प्रतियोगियों को पेशासमय उपलब्ध करवा दी जाएगी।
3. ये प्रतियोगिताएँ निशुल्क हैं।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम नोटल अधिकारी, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर राजभाषा अनुभाग, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते हैं।

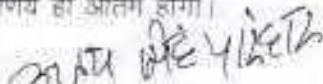
(क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

1. इस प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।
2. इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
3. इस प्रतियोगिता में अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

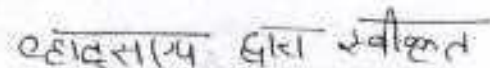
(ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्त आदि) प्रेषित करने हेतु नियम-

1. कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक नद लिफाफे में नोटल अधिकारी, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को भेजेंगे।
2. स्वरचित रचना के साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र सलग किया जाना चाहिए कि यह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. स्वरचित रचना किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
5. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है -

प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/- रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार (पंच)	800/- रुपये
6. उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही नोटल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर के नियंत्रण व देखरेख में राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।
7. कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने समान अंक प्राप्त किये हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।
8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों की निर्गहन आदि के बारे में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) का निर्णय ही अंतिम होगा।


(अजय सिंह परिहार)

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोटल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली


(नीति सूरि मिश्रा)

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोटल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ - 2022

उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली में आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र:-

- (क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)
(ख) सारचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि) प्रतियोगिता

(नोट: एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कृपया अलग-अलग प्रपत्र भरें। इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।)

प्रतियोगिता का नाम.....

1. कर्मचारी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. पदनाम :

4. कर्मचारी कूट संख्या :

5. वर्तमान तैनाती स्थल :

6. ई-मेल पता :

7. मोबाइल नम्बर :

अग्रसारित

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(अग्रपण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ०प० एवं उ०) जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) के निर्देशानुसार आप सभी को सहमं सूचित किया जाता है कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में रोहिणी न्यायालय परिसर के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	स्वर्चित रचना (कविता, कहानी, लेख यात्रा वृत्त आदि)	कथित दोनों प्रतियोगिताओं का प्रपत्र 'स्वर्चित रचना' सहित प्राप्ति एवं निर्गम अनुभाग के माध्यम से राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर) को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 अपराह्न 4.00 बजे तक भेज जा सकते हैं।
2	सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता लिखित परीक्षा	

सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता दिनांक 20 सितम्बर 2022 को सांय 3.30 बजे सभागार, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
ध्यान दें :- विस्तृत जानकारी हेतु परिपत्र के साथ संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवम् अन्य जानकारी हेतु अनुभाग प्रभारी, राजभाषा अनुभाग (उत्तर) से संपर्क कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी सहासमय ही जाएगी तथा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार प्रारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

अमित सिंह परिहर
(अजय सिंह परिहर)

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

एडीएसपी एस सीहरा
(नीति सूरि मिश्रा)

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

27094-27216

संख्या...../प्रतियोगिता 2022/राजभाषा अनुभाग हिन्दी (उ०प० एवं उ०) दिल्ली, दिनांक 14/09/22

उपर्युक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है।

1. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी-दिल्ली।
2. माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी, दिल्ली।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी-दिल्ली।
4. निजी सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी-दिल्ली।
5. अनुभाग प्रभारी, देख रेख अनुभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रतियोगिता से संबंधित व्यबस्था का प्रबंध करें।
6. संबंधित कर्मचारी, लेफ्ट/वेबसाइट, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी-दिल्ली एवं मुख्यालय तीस हजारी, दिल्ली।

नोट :- सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपर्युक्त परिपत्र से अवगत करावें तथा उनके द्वारा प्रतियोगिता के लिए भरे हुए प्रपत्र को अग्रसरित करने को कृपा करें। प्रतियोगिता से भाग लेने वाले इच्छुक कर्मचारी निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचें।

अमित सिंह परिहर

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

एडीएसपी एस सीहरा

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में आयोजित की जाने वाली विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का स्वरूप व नियमावली-2022

उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली में कायंस्त कर्मचारियों के लिए विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:-

(क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

(ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि)

उपयुक्त प्रतियोगिताओं के लिए नियमावली :-

1. इन प्रतियोगिताओं में उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय में तैनात सभी कर्मचारियों भाग ले सकते हैं।
2. निर्धारित तारीखों पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय व स्थान इत्यादि की जानकारी प्रतियोगियों को प्रधानमन्त्री उपलब्ध करवा दी जाएगी।
3. ये प्रतियोगिताएँ निशुल्क हैं।
4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नाम नोटल अधिकारी, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर राजभाषा अनुभाग उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी न्यायालय दिल्ली को उचित माध्यम से भेजने होंगे और कर्मचारी प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए बनाए गए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए उसमें भाग ले सकते हैं।

(क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)

1. इस प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।
2. इस प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
3. इस प्रतियोगिता में अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

(ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तांत आदि) प्रेषित करने हेतु नियम-

1. कर्मचारी अपनी स्वरचित रचना निर्धारित तारीख तक बंद लिफाफे में नोटल अधिकारी, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली को भेजेंगे।
2. स्वरचित रचना को साथ कर्मचारी द्वारा यह प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि यह रचना उसकी स्वरचित रचना है जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है तथा उस रचना के लिए उसने कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। इस प्रमाणपत्र के बिना रचना स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. स्वरचित रचना किसी भी जाति हमें समुदाय या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए व राष्ट्रविरोधी व सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।

5. प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है:-

प्रथम पुरस्कार (एक)	4000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)	3000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक)	2000/- रुपये
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	800/- रुपये

6. उपर्युक्त विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही नोटल अधिकारी, राजभाषा हिन्दी अनुभाग उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर के नियंत्रण व देखरेख में राजभाषा हिन्दी अनुभाग उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।
7. कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन उन्हें पुरस्कार केवल किसी एक प्रतियोगिता में ही दिया जाएगा, जिसमें उसकी मेरिट बेहतर होगी। यदि एक से अधिक कर्मचारियों ने सम्मान अर्क प्राप्त किये हैं तो पुरस्कार राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।
8. इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वाह आदि के बारे में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

अजय सिंह परिहार
(अजय सिंह परिहार)

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोटल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

एहसासुल्लाह खान खलील
(नीति सूरि मिश्रा)

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोटल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ०प० एवं उ०) जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

परिपत्र

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर) के निर्देशानुसार आप सभी को सहर्ष सूचित किया जाता है कि हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में रोहिणी न्यायालय परिसर में सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1.	स्वचित्त रचना (कविता, कहानी, लेख यात्रा वृत्तांत आदि)	कौशल दोनों प्रतियोगिताओं का प्रपत्र 'स्वचित्त रचना' सहित प्राप्ति एवं निगम अनुभाग के माध्यम से राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर) को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 अपराह्न 4.00 बजे तक भेज जा सकते हैं।
2.	सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता 'लिखित परीक्षा'	

सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता दिनांक 20 सितम्बर 2022 को साय 3.30 बजे सभागार, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली में आयोजित की जाएगी।
ध्यान दें :- विस्तृत जानकारी हेतु परिपत्र के साथ संलग्न नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवम् अन्य जानकारी हेतु अनुभाग प्रभारी, राजभाषा अनुभाग (उत्तर) से संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त प्रतियोगिता के परिणामों की जानकारी यथासमय दी जाएगी तथा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को नियमानुसार पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

अजय सिंह परिहर
(अजय सिंह परिहर)

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

एडाइसाय एस सीकृत
(जीति सूरि मिश्रा)

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

27094-27216

संख्या..... प्रतियोगिता-2022 राजभाषा अनुभाग हिन्दी (उ०प० एवं उ०)

दिल्ली, दिनांक 14/09/22

उपयुक्त परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है।

1. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, जिला-उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
2. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय हिन्दी कार्यन्वयन समिति, तीस हजारी, दिल्ली।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
4. निजि सचिव, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम, एवं उत्तर, रोहिणी दिल्ली।
5. अनुभाग प्रभारी, देख रेख अनुभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रतियोगिता में संबंधित व्यवस्था का प्रबंध करें।
6. संबंधित कर्मचारी, लेयर्स/वेबमाईट, उत्तर-पश्चिम, रोहिणी दिल्ली एवं मुख्यालय तीस हजारी, दिल्ली।

नोट :- सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों से निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपयुक्त परिपत्र से अवगत कराएं तथा उनके द्वारा प्रतियोगिता के लिए भरे हुए प्रपत्र को अप्रसरित करने की कृपा करें। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उत्कृष्ट कर्मचारी निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचें।

अजय सिंह परिहर

महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

एडाइसाय एस सीकृत

अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी-सह-नोडल अधिकारी
राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर)
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली
विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ - 2022

उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर जिला, रोहिणी न्यायालय दिल्ली में आयोजित निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए निर्धारित प्रपत्र-

- (क) राजभाषा हिन्दी-सामान्य ज्ञान व अनुवाद प्रतियोगिता (लिखित परीक्षा)
(ख) स्वरचित रचना (कविता, कहानी, लेख, यात्रा-वृत्तान्त आदि) प्रतियोगिता

(नोट: एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कृपया अलग-अलग प्रपत्र भरें। इस प्रपत्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।)

प्रतियोगिता का नाम

1. कर्मचारी का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. पदनाम :

4. कर्मचारी कूट संख्या :

5. वर्तमान तैनाती स्थल :

6. ई-मेल पता :

7. मोबाइल नम्बर :

अग्रसारित

कर्मचारी के हस्ताक्षर

(अग्रोपण अधिकारी के हस्ताक्षर)
सोहर सहित